न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5484/2004/बारां

लटूर लाल पुत्र भैरूलाल मृतक जरिये वारिसान
1. भूली बाई बेवा लटूरलाल
2. जानकी बाई
3. शान्तिबाई
4. बद्री बाई
5. मुन्नी बाई पुत्रियां लटूरलाल
6. रामकेदार पुत्र लटूरलाल
   समस्त जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बांरा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां
2. सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल, अपीलार्थीगण
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम बमोरी तहसील अटरू स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.85हैक्टयर भूमि बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी अपीलार्थीगण के पूर्वज लटूरलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र के प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दो विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–07–2002 से वाद को डिकी कर प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को खारिज करते हुए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी लटूर की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एव ंपदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–05–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि सेटलमैन्ट के पूर्व की आराजी खसरा

नम्बर 19 रकबा 22बीघा 03बिस्वा का बंटवारा आधा–आधा हिस्से से हुआ है, इस खसरा नम्बर 19 के नये खसरा नम्बर 18 व 18/840बने है। अतः इनका रकबा 1.79हेक्टयर व 1.79हैक्टयर दर्ज किया जाना चाहिए था। उनका कथन है कि सेटलमैन्ट विभाग द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 की 1.79हैक्टयर भूमि मानी जाकर उसी हद तक प्रत्यर्थीगण का वाद माना जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अपने काउन्टर क्लेम के रूप में आराजी का खसरा नम्बर 17 में जो 0.01हैक्टयर भूमि है, जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के पिता ने शामिल में कुआ खुदवाया है, का हिस्सा बराबर बराबर माना जाना चाहिए था व उसकी घोषण करनी चाहिए थी। उनका कथन है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद में कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना नहीं की जा सकती जबकि अधीनस्थ न्यायालयों ने कब्जे दिलाये जाने का आदेश देकर विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि सेटलमैनट के पूर्व की खसरा नम्बर 19 रकबा 22बीघा 03बिस्वा भूमि अपीलार्थी व उसके भाई चतुर्भुज के संयुक्त खाते दर्ज की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी एवं नये नम्बर बनाते समय खसरा नम्बर 18 का रकबा 1.85 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 18/840 का रकबा 1.72 हैक्टयर दर्ज कर दिया जबकि रकबा बराबर बराबर दर्ज होना चाहिए था। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राजात को दोहराने का अधिकार है, पूर्व के इन्द्राजात में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार की ओर से विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों दावों को कन्सोलिटेड कर एक साथ निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया

जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को दोनों प्रकरणों में एक साथ निर्णय पारित करने हेतु अपील को स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जावे। अथवा प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों दावों में एक साथ निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् दोनों पक्षकारों के मध्य लगभग 40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया तथा वे उसी अनुसार काबिज काश्त है तथा प्रत्यर्थी ने मेड तोडकर काश्त नहीं की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में उनका पक्षकार खातेदार काश्तकार दर्ज है, प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में अनावश्यक हस्तक्षेप करने पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को खारिज किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख नहीं किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण

विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर कुछ माह विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

8. हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वादी मदनलाल ने अपना वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खसरा नम्बर 18 रकबा 1.85हैक्टयर भूमि बाबत् प्रतिवादी लटूर लाल के विरूद्ध प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में बतौर दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 प्रदर्श–पी–1, राजस्व नक्शा प्रदर्श–पी–2 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20–06–2000 प्रदर्श–पी–3 पेश किये है। इसी वादपत्र में प्रतिवादी लटूरलाल ने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर खसरा नम्बर 18 रकबा 1.85हैक्टयर का वर्तमान रकबा गलत बताते हुए उसे 0.06हैक्टयर कम कर उक्त रकबा प्रतिवादी के खाते में दर्ज करने का अनुतोष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर दो तनकीयात कायम की गयी।

9. विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–2 निम्नानुसार कायम की गयी– **आया वादी के पिता चतुर्भज तथा प्रतिवादी लटूर दोनों संगे भाई थे जिनके शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर–19 रकबा 22बीघा 03बिस्वा था, जिसका बाद सैटलमैन्ट नया खसरा नम्बर 18 का रकबा 1.85हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 18/840 का रकबा 1.72 हैक्टयर बना है, इस वजह से शामलाती खाते की आराजी होने की वजह से आराजी का बंट बराबर में विभाजन करा कर प्रतिवादी 0.06हैक्टयर आराजी वादी के खाते में से कम कराके अपने नाम 0.06हैक्टयर आराजी खाता दर्ज कराने का अधिकारी है–** पक्षकारान की ओर से मूल वाद एवं काउन्टर क्लेम में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर उक्त तनकी संख्या–2 महत्वपूर्ण तनकी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 प्रदर्श–पी–2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 19 रकबा 22बीघा 03बिस्वा भूमि चतुर्भुज व लटूर वल्द भैरूलाल कौम धाकड सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी के मूल खसरा नम्बर 19 रकबा 23बीघा 03बिस्वा पर भैरूलाल के दोनों पुत्र चतुर्भुज व लटूर बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–328 से एक खातेदार चतुर्भुज के देहान्त उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण से विवादित आराजी मदनलाल वादी के नाम दर्ज हुई। मिलन क्षेत्रफल प्रदर्श–डी–1 के अनुसार मूल खसरा नम्बर 19 के वर्तमान खसरा नम्बर 17 रकबा 0.01हैक्टयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.85हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 18/840 रकबा 1.72हैक्टयर कायम किये गये, जिसमें नवीन खसरा नम्बर 18 का रकबा 1.85हैक्टयर कायम कर चतुर्भुज के पुत्र मदनलाल वादी के नाम दर्ज करते हुए रकबा

बढा दिया तथा नवीन खसरा नम्बर 18/840 का रकबा 1.72 कायम कर लटूर प्रतिवादी के नाम दर्ज करते हुए रकबा कम कर दिया गया, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। प्रस्तुत प्रकरण में जब विवादित आराजी का गत खसरा नम्बर 19 चतुर्भुज व लटूर के बराबर–बराबर हिस्से में दर्ज था तो नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय भू–प्रबन्ध विभाग को नवीन खसरा नम्बर 18 एवं 18/840 का रकबा भी बराबर बराबर 1.785हेक्टयर कायम करते हुए दोनों खातेदार चतुर्भुज अथवा उसके वारिसान एवं लटूर के नाम दर्ज करना चाहिए था। भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार गत खसरा नम्बर के कायम नवीन खसरा नम्बर कायम कर रकबा कम–ज्यादा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त उल्लेखित तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–2 प्रतिवादी अपीलार्थी लटूर के पक्ष में प्रमाणित होने से अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत की जाती है। जहां तक वादी मदनलाल की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबउलजवाब में उल्लेखित कथन कि पारिवारिक बंटवारे के अनुसार विवादित खेत के बंटवारे अनुसार वर्षो से काबिज काश्त है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं। केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार का रकबा कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये, जो तथ्यात्मक एवं विधि रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2004 एवं सहायक कलक्टर, अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–07–2002 निरस्त किया जाता है तथा विचारण

न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी के खाते दर्ज खसरा नम्बर 18 रकबा 1.85हैक्टयर में से 0.065हेक्टयर भूमि कम की जाकर प्रतिवादी लटूर के खाते दर्ज खसरा नम्बर 18/840 रकबा 1.72हेक्टयर अर्थात् दोनों के खाते 1.785 – 1.785 हैक्टयर भूमि बराबर बराबर एवं खसरा नम्बर 17 रकबा 0.01हेक्टयर भूमि शामलाती खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 का वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री करते हुए उभय पक्षकारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष